भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3335
गुरुवार 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

वेल्लोर और नेवेली विमानपत्तनों का संचालन

3335. थिरु दयानिधि मारनः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार उड़ान योजना के अंतर्गत बार-बार घोषणाएं होने के बावजूद, तमिलनाडु के वेल्लोर और नेवेली आरसीएस विमानपत्तनों के लाइसेंस और संचालन के संबंध में हो रही लंबी देरी से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:
(ख) इन विमानपत्तनों के लाइसेंस और संचालन संबंधी मंजूरी के लिए प्रस्तुत आवेदनों का ब्यौरा क्या है और प्रस्तुत करने की तिथियां, किए गए निरीक्षण, उल्लिखित कमियां, वर्तमान स्थिति क्या है और देरी के क्या कारण हैं और अंतिम मंजूरी देने के लिए संशोधित निर्धारित समय-सीमा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस देरी के कारण उत्तरी और मध्य तमिलनाडु को हुए आर्थिक और क्षेत्रीय संपर्क के नुकसान का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने के लिए सलेम से चेन्नई और मदुरै के लिए अतिरिक्त निर्धारित सेवाएं आरंभ करने या अनुमोदित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) के तहत, तमिलनाडु में वेल्लोर और नेवेली हवाईअड्डों को विकास और आरसीएस उड़ानों के परिचालन के लिए चिह्नित किया गया था। दोनों हवाईअड्डों पर विकास कार्य पूरा हो चुका है।

वेल्लोर हवाईअड्डे के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने दिनांक 27.03.2023 को एयरोड्रोम लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अनुपालन की समीक्षा करने के लिए दिनांक 26-28 फरवरी, 2024 के दौरान और दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को वेल्लोर हवाईअड्डे का निरीक्षण किया। वर्तमान में, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा अंतिम सुरक्षा पुनरीक्षण लंबित है, जो हवाईअड्डा लाइसेंस जारी करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है।

नेवेली हवाईअड्डे के लिए, मेसर्स एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 20.10.2023 को एयरोड्रोम लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। डीजीसीए ने अनुपालन की समीक्षा करने के लिए दिनांक 20-22 नवंबर, 2024 और 29-30 जनवरी, 2026 के दौरान नेवेली

हवाईअड्डे का निरीक्षण किया। वर्तमान में, बीसीएएस द्वारा अंतिम सुरक्षा पुनरीक्षण और मौसम विज्ञान (एमईटी) उपकरणों की स्थापना लंबित है।

किसी भी हवाईअड्डे की लाइसेंसिंग सुरक्षा और संरक्षा संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन के अध्यधीन होती है।

(ग) : हवाईअड्डों का विकास और उनका प्रचालन निर्धारित विनियामक और सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुसार किया जाता है, ताकि क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाया जा सके। सरकार भी लागू विनियामक फ्रेमवर्क के अनुपालन में हवाईअड्डों के विकास और प्रचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए समय-समय पर संबंधित हितधारकों के साथ संपर्क में रहती है।

(घ) : मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त होने के साथ भारतीय घरेलू विमानन क्षेत्र को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है। एयरलाइनें अपने बेड़े में किसी भी प्रकार के विमान को शामिल करने और सेवा प्रदान करने हेतु अपनी इच्छानुसार किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः यह एयरलाइन प्रचालकों पर निर्भर करता है कि वे अपनी प्रचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाईअड्डे के लिए/ हवाईअड्डे से विमान सेवाएं आरंभ करें।

******